न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 149 / 2026
आरआरसीएमएस नं. :– 202602125600091

प्रार्थीगण :–
1. यशपाल चौधरी पुत्र पुसाराम
2. कनीदेवी पत्नी पुसाराम
3. मीरा पत्नी सत्यपाल
4. अभिषेक पुत्र सत्यपाल
5. रिन्कु पुत्री सत्यपाल
6. बालादेवी पत्नी रामनिवास
7. मंगलाराम पुत्र हरिराम
जातियान जाट निवासीगण
बगड़की तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मंसूर अली छीपा प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :–26 / 02 / 2026

निर्णय

दिनांक :– 15/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बगडकी पटवार क्षेत्र रिया तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 85 रकबा 3.8023 हैक्टेयर किस्म बारानी जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खसरा संख्या पुराना 85 को सर्वे रिसर्वे में नये खसरा संख्या 166 रकबा 0.0420 हैक्टेयर, नये खसरा संख्या 167 रकबा 3.6794 हैक्टेयर दिया गया है लेकिन पुराना खसरा संख्या 85 के अनुसार सम्पुर्ण रकबा दर्ज नही किया गया व 0.0809 हैक्टेयर भूमि कम कर दी गई। प्रार्थीगण के नये खसरा संख्या 167 रकबा 3.6794 हेक्टेयर के चिपते खसरा संख्या 168 रकबा 0.1573 हेक्टेयर स्थित है जो प्रार्थीगण के खसरा संख्या पुराना 85 से तोडकर बनाया गया है तथा प्रार्थीगण कि कम कि गई भूमि 0.0809 हैक्टेयर खसरा संख्या नया 168 में जोड दी गई है जब कि आज भी मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पुराना खसरा संख्या 85 के अनुसार वर्तमान सर्वे रिसर्वे में सम्पुर्ण रकबा दर्ज नहीं किया गया है तथा खसरा सख्या 168 में रकबा 0.1573 हैक्टेयर भूमि में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 167 कि है इसलिए खसरा संख्या 167 का रकबा 3.6794 हेक्टेयर के स्थान पर 3.7603 हेक्टेयर किया जावे व 0.0809 हैक्टेयर कि तरमीम खसरा संख्या 167 के पूर्वी माठ कि तरफ कि जावे व खसरा संख्या 168 का रकबा 0.1573 हेक्टेयर के स्थान पर 0.0764 हेक्टेयर किया जावे। लेकिन अप्रार्थी ने तरमीम व रकबा शुद्धि को सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही शुद्ध करने का प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा कहा गया इसलिए न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बगडकी पटवार क्षेत्र रिया तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 167 का रकबा 3.6794 हैक्टेयर के स्थान पर 3.7603 हैक्टेयर किया जावे व 0.0809 हैक्टेयर कि

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

तरमीम खसरा संख्या 167 के पूर्वी माठ कि तरफ कि जावे व खसरा संख्या 168 का रकबा 0.1573 हैक्टेयर के स्थान पर 0.0764 हैक्टेयर किया किये जाने का आदेश फरमाया जाकर खाता दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को समन जारी किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम बगड़की में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि आई हुई है जिसके पुराने खसरा संख्या 85 रकबा 3.8023 हैक्टेयर दर्ज थी, सर्वे रिसर्वे पश्चात् उक्त भूमि के नये खसरा संख्या 167 रकबा 3.6794 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 166 रकबा 0.0420 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7214 हैक्टेयर दर्ज हुआ जो पुराने खसरा संख्या 85 रकबा 3.8023 से रकबा 0.0809 हैक्टेयर कम कर दिया गया। प्रार्थीगण का रकबा कम होकर प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार जीयाराम वगैराह के नये खसरा संख्या 168 रकबा 0.1573 हैक्टेयर भूमि में दर्ज हो गया जो प्रार्थी के खसरे का अंश है। अतः प्रार्थीगण का कम हुआ रकबा 0.0809 प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार जियाराम वगैराह के खाता संख्या 164 खसरा संख्या 168 रकबा 0.1573 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी के नये खसरा संख्या 167 में जोड़ा जाना उचित है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थी पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रकबा एवं तरमीम शुद्वि का निवेदन किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने रकबा एवं तरमीम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया एवं बहस पक्षकारान् पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बगड़की में प्रार्थीगण का कम हुआ रकबा 0.0809 प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार जियाराम वगैराह के खसरा संख्या 168 रकबा 0.1573 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर रकबा कम कर प्रार्थीगण के नये खसरा संख्या 167 में जोड़ा जाकर पूर्वी माठ की तरफ तरमीम दुरूस्ती की जाकर खाता दुरूस्ती एवं नक्शा दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर